International Journal of Applied Research 2015; 1(8): 331-334

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(8): 331-334
www.allresearchjournal.com
Received: 25-03-2015
Accepted: 26-04-2015

अंजू
शोधार्थी पीएच.डी., राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

Correspondence:
अंजू
शोधार्थी पीएच.डी., राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पंचायतीराज और महिला सशक्तिकरण

अंजू

लोकतांत्रिक सत्ता और शक्ति के ढाँचे को जन–जन तक पहुँचाने का एक ही मार्ग है, 'पंचायतीराज'। इसे ग्रामीण समाज की रीढ़ भी कह सकते हैं। भारत गाँवों का देश कहलाता है। देश की 72 प्रतिशत जनता आज भी गाँवों में ही रहती है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण इसी व्यवस्था में संभव है।

पंचायतीराज व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि वेद, महाभारत, धर्म–सूत्र, जातक, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में इसका विवरण प्राप्त होता है। आर्यों के समय से ही यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में समाज में उपस्थित थी। महाभारत काल में पंचायत को 'सभा और गण' के नाम से जाना जाता था। यद्यपि इस युग में राजा ही श्रेष्ठ था, उसे ही सर्वोच्च माना जाता था, फिर भी इनका महत्व कम नहीं था। बौद्धकाल में पंचायत का पूर्ण अधिकार और प्रभाव ग्रामीणों पर होता था। गाँव पंचायत की सबसे अधिक दयनीय स्थिति मुगलकाल में हुई। इस युग में पंचायत व्यवस्था लुप्त नहीं हुई पर इन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने समस्त ग्रामीण शक्ति के ढांचे को कमजोर बनाने के लिए शक्ति अपने हाथों में ले ली। यह उनके शोषण की प्रवृत्ति का एक हिस्सा था। इन्होंने पंचायतीराज को निर्जीव बना दिया। ब्रिटिशकाल में पंचायत व्यवस्था की साख गिरी ही नहीं बल्कि अंदर और बाहर से जर्जर हो गई। पंचायती राज की वास्तविक उन्नति स्वतंत्रता के पश्चात् हुई।[1]

आजादी के बाद महात्मा गांधी ने अपना चिंतन एक ऐसे ग्राम समाज की कल्पना की ओर केन्द्रित किया कि एक बार फिर से ग्रामीण विकास के बारे में सोचा जाने लगा। गांधी जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, जहाँ प्रत्येक गाँव अपने लिए खाद्यान, कपड़ा और आवास आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा। गाँधी जी का यह मानना था कि ग्रामीण विकास तभी संभव है, जब हम अपना समुचित ध्यान इस ओर केन्द्रित कर ले कि पंचायतों के द्वारा ही ग्रामीण विकास प्रगति के नए सोपान खोज सकता है। पंचायतों के द्वारा सुख–समृद्धि और परिवर्तन की अहम भूमिका निभाई जा सकती है। गाँधी जी के सपने को साकार करने हेतु राष्ट्र में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए वकालत की गई। सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता, लोकतंत्र फल–फूल नहीं सकता। यह देश विविधताओं और असंख्यक प्रकार की छोटी–बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। गाँवों, कस्बों, नगरों और महानगरों की समस्याएँ एक–दूसरे से मेल नहीं खाती है। इसलिए इन छोटी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि पंचायतीराज को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाया जाए। भारत के समग्र विकास की कल्पना तभी सार्थक हो सकेगी।

सर्वप्रथम, भारत के राजस्थान प्रांत के नागौर जिले में अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत राज का श्रीगणेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्तर पर जनता के विकास में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना था।[2]

भारत में ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में ग्राम पंचायत का विशेष महत्व और स्थान है। ग्रामीण पद्धति और लोक नीति के आधार पर ही ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। गाँव के निवासियों के लिए जिस न्याय व्यवस्था को स्थापित किया गया, उसे आज हम गाँव पंचायत के नाम से जानते है। लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायतीराज संस्थाएँ है। आमतौर पर पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करती है– ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम या ग्राम समूह की पंचायत ग्राम पंचायत कहलाती है। खंड स्तर की पंचायत समिति और जिला स्तर की जिला परिषद् कही जाती है।

पंचायती राज के द्वारा महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सामाजिक सेवा कार्य में समान अवसर प्रदान करना। उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे

राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित कार्यों में स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सकें। महिलाओं को यह महसूस हो सके कि वे स्वतंत्र भारत की राजनीति में वैसे ही भागीदार है जैसे पुरुष।

सशक्तिकरण का अर्थ है– आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है। यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है, तो वह सशक्त, समर्थ है। ये तीन शब्द आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तब ही महिला को प्राप्त हो सकते हैं, जब उसे उन्नति करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

1975–85 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक का एक ऐसा गरमाया दौर था जिसमें राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आवाज गूंजने लगी थी। विभिन्न देशों में महिला और राजनीति पर बहस की जाने लगी थी। 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नारी को राजनीति में स्थान दिलाने हेतु संकल्प लिया। यह एक सशक्त शुरूआत थी कि विश्वभर के राजनीतिज्ञ महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के पक्ष में दिखाई पड़े।

लगभग दो दशकों से महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। जगह–जगह गोष्ठियाँ की जा रही है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आज की महिलाएँ काफी आगे निकल चुकी हैं, आर्थिक सम्पन्नता ने उन्हें संबलता प्रदान की है। लेकिन इस 'अर्थ' में उनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है। वस्तुतः आज भी उसका मानसिक, शारीरिक व यौन उत्पीड़न होता है। इस त्रासदी का कारण हमारी पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में ढूँढा जा सकता है। आज आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति तो बदल गयी लेकिन पुरुषों की सदियों पुरानी मानसिकता नहीं बदली, सोच नहीं बदली। आर्थिक निर्भरता से ज्यादा जरूरी है सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में महिलाओं को यह स्थान मिल सकता है सिर्फ राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से। इसी उद्देश्य से सन् 1992 में 73वां संविधन संशोधन किया गया और त्रि–स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है।[3]

73वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक–तिहाई महिलायें सभी स्थानीय स्व–शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी, जिनमें पंच, सरपंच, प्रधन, प्रमुख जिला परिषद्–सभी स्तर शामिल हैं। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

अतः 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक 'मील के पत्थर' के समान है। इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

हम जब पंचायतीराज और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना पड़ता है कि पंचायतीराज महिलाओं का राजनीतिक समाजीकरण भी करता है। पंचायतीराज ग्रामीण समाज की प्रथम पाठशाला है, जहाँ 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है। वे स्थानीय स्तर पर राजनीति की नीतियों, कार्य प्रणालियों, सभाओं में सीधे भागीदारी बनती है। इनके अनुभवों से वे राजनीति में परिपक्व होती है। इनकी एक राजनीतिक छवि बनती है, जब ये गंभीर स्थानीय समस्याओं पर निर्णय लेकर उसका समाधान करती है।

पंचायतीराज में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण हो जाने से ग्रामीण समाज की महिलाओं में जहाँ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है, वहीं उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आई है। वे अपने हितों की रक्षा के लिए सजग हुई है। उनमें उन सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की हिम्मत आई है, जो शताब्दियों से उनका दोहन, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार करते आए हैं। उनमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई है। महिलाओं को यदि उचित व समान अवसर और सुविधाएँ दी जाए तो वे कहीं भी पुरुषों से कम साबित नहीं होगी। इसका उदाहरण यह है कि अनेक महिला प्रधानों ने महिला पंचायत सदस्यों की सहायता से दहेज, शराबखोरी, जुए के अड्डों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। ये निरंतर अंधविश्वास, रूढ़ियों, रीति–रिवाजों, परम्पराओं आदि का विरोध कर रही है। यह महिलाओं को अपनी छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करती है। इसलिये गांधी जी ने कहा था कि–

''अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुप्त पड़ी है। अगर एशिया की महिलाएँ जाग जाएँ तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी।''

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के व्यावहारिक पहलू को देखा जाए तो जहाँ महिलाओं को पहली बार प्रशासनिक अधिकार मिले। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी, उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागा। अपने स्थानीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने प्रयास करने शुरू किए। उन्हें यह अनुभव हो गया कि बगैर शासन, सत्ता और शक्ति को पाए वे अपनी स्थिति को सुधर नहीं सकती है। इसलिए राजनीति में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का यह एक सशक्त दौर है जिसें हम कहीं स्त्री–विमर्श और नारीवाद की भी संज्ञा देते हैं। यह महिला सशक्तिकरण का दौर ग्रामीण समाज के पिछड़े क्षेत्रों से पंचायतीराज के द्वारा आरंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निश्चय ही यह एक राजनीतिक–सामाजिक क्रांति है, जो उन्हीं की जमीन से फूटती है, अंकुरित होती है, पल्लवित होती है, और ग्रामीण महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराती है। पंचायतीराज का इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि यह वह माध्यम है जिससे महिला जगत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है। वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में राजनीतिक शक्ति ही समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाती है।[4]

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है, किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधन बनाने मात्र से बदलाव नहीं लाया जाता है। भारतीय समाज का ढाँचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा दबाकर रखा गया था। अतः निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था।

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्यायें

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्यायें उजागर हुई है। इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जा सकता है–

- **शिक्षा का अभाव**

पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएँ सदस्य चुनकर आयी हैं, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें शिक्षा की कमी होने के कारण–

(क) वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को सही ढंग से नहीं जान पाती।

(ख) निरक्षरता के कारण अधिकतर महिलाओं की वास्तविक भूमिका उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निभायी जा रही है।

- **प्रशिक्षण का अभाव**

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए सरल भाषा में साहित्य तैयार किया है जो जनता में पंचायतों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए उत्कृष्ट है, किंतु इसे सभी स्तरों तक पहुँचाने और कार्यकारी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का अभी अभाव है।

- **महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा**

पंचायती राज संस्था के चुनावों के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण देखने में आए। हरियाणा के कच्छरली गाँव (पानीपत के पास) में दलित महिला सदस्य, जिंदन बाई को तब पुलिस की मार एवं गालियों का सामना करना पड़ा, जब वह एक जमीन के सौदे के बारे में पूछताछ कर रही थी। मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले के हरपुरा गाँव में एक महिला के दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ सिर्फ हिंसा की घटनायें ही नहीं, यौन प्रताड़ना तथा सामूहिक बलात्कार के मामले भी प्रकाश में आते रहते है।

- **सामाजिक समस्याएँ**

महिलाओं की सहभागिता से उत्पन्न अन्य समस्याओं में अभी भी यह धारणा समाज में व्याप्त है कि पंचायतों में स्थान आरक्षित करना बेमानी सिद्ध हुआ है। वे चुनकर तो आ गई लेकिन उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है, वे वही करेंगी जो पुरुष चाहते है। बहुत कम महिलाएँ है, जो मुखर होकर अपना पक्ष मजबूती से रखती है। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढ़िवादिता के कारण महिलाएँ विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही है।

- **पारिवारिक समस्याएँ**

इस क्षेत्र में कुछ अध्ययनों में यह तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में अधिक सदस्य है, वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायतों की बैठकों में कम ही भाग ले पाती है।

महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के प्रयास एवं सुझाव

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। जब तक महिलाएँ जागरूक नहीं होगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने हेतु किये गये प्रयासों एवं सुझावों का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं में किया जा सकता है–

- **महिलाओं को शिक्षित करना**

पंचायती राज में प्रतिनिधि को चुनने के लिए शिक्षा का मानदण्ड होना जरूरी है। इस हेतु सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे पंचायत संबंधी कार्य आसानी से समझ सकें।

- **उचित प्रशिक्षण**

पंचायती राज प्रणाली के विषय में महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देना अनिवार्य है, जो प्रतिवर्ष कम से कम दो बार हो। महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज एवं अपने अधिकारों व दायित्वों का ज्ञान नहीं होता। प्रशिक्षण द्वारा उन्हें इन बातों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

- **जागरूकता पैदा करना**

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवयश्क है कि उन्हें 73वें संविधन संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक किया जाए। अनेक महिला संगठन तथा सरकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है।

- **सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा**

पंचायतों की कई महिला प्रतिनिधियों के साथ होने वाले अपराधों एवं हिंसा की घटनाओं का सामाजिक स्तर पर सामूहिक विरोध होना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए न केवल ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के संगठनात्मक प्रयास करने होंगे।

- **परिवार का सहयोग**

परिवार के सहयोग का यह मतलब नहीं कि नये पंचायती राज में महिलाओं को पंच/सरपंच तो बनने दिया जाए, पर उन्हें पंचायतों की बैठकों में जाने से रोका जाए। पंचायतों की बैठकों में परिवार के अन्य सदस्य (पति, भाई, बेटे) का जाना कोई सहयोग नहीं है। यदि परिवार का सहयोग सही मायने में मिले तो महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी कारगर बन सकेगी।[5]

इस प्रकार इन समस्त सुझावों को व्यवहार में लाने के प्रयासों को क्रियान्वित करके नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के योगदान को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त यदि सरकार यह चाहती है कि पंचायत के जरिए महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो तो यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि वे उच्च अधिकारियों एवं सरकार से किस प्रकार कार्य करवाएँ, कैसे प्रस्ताव बनाएँ, कैसे बजट बनाएँ, कैसे ग्रामीण विकास के कार्यो की रूपरेखा बनाएँ आदि। ये भी बताएँ कि विभिन्न स्थानीय समस्याओं का निराकरण वे अपने स्तर पर किस प्रकार कर सकती है। इसके साथ ही वे सारी बाधाएँ जो उनके राजनीतिक गतिविधियों में आड़े आती हैं, उनका भी निराकरण होना अत्यन्त आवश्यक है, जैसे– अशिक्षा, आर्थिक सहायता का न मिलना, स्थानीय पुरुषों का सहयोग न मिलना आदि। पंचायत व्यवस्था में इन दुर्बलताओं के होते हुए भी पंचायतीराज ने अपनी पहचान बनाई है। महिलाएँ ग्रामीण विकास कार्य में सक्रिय हुई है, राजनीतिक रुचि उनमें बढ़ी है और भागीदारी भी। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान से जहाँ तक ओर महिलाओं को ग्रामीण सत्ता में भागीदारी निभाने में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर यह व्यवस्था उनको वर्तमान में बदलते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में समकक्ष दर्जा दिलाने हेतु एक प्रशंसनीय कदम है।[6]

पंचायतीराज से जुड़ कर आज महिलाएँ सोचने के लिए मजबूर है कि गाँव में स्कूल हो, साफ पीने का पानी हो, बिजली, सड़क और मनोरंजन के साधन हो। वे अब ग्राम सभाओं में सम्मिलित होकर अपने गाँव के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीण समाज में महिलाओं को पंचायतीराज में राजनीति की कच्ची जमीन मिली जिस पर उन्हें चलना है, क्योंकि इस पर अभी तक पूरी तरह पुरुषों का अधिपत्य बना हुआ है, पर जिस विश्वास से वे आगे बढ़ रही है, वे निश्चय ही गांधीजी के स्वप्नों को साकार करेगी।

नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के समस्त पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात् निष्कर्षात्मक प्रस्तुति में यह कहा जा सकता है कि स्त्री का मानव सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज–निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि देश की

आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी सशक्त हो।

संदर्भ

1. सिंह, वी.एन., जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010.
2. सं. सन्तोष खन्ना, 21वीं शती में नारी कानून और सरोकार, विधि भारती परिषद्, दिल्ली, 2007.
3. सिंह, निशांत, भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009.
4. सिंह, वी.एन., जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010.
5. नाटाणी, प्रकाश नारायण, महिला संरक्षण एवं न्याय, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2007.
6. सं. सन्तोष खन्ना, 21वीं शदी में नारी कानून और सरोकार, विधि भारती परिषद्, दिल्ली, 2007.